-09-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 09/2022

प्रदीप कुमार यादव बनाम झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

03.02.2023

आदेश

आवेदक प्रदीप कुमार यादव, पिता–स्व० सोहर महतो उर्फ सोरह यादव, ग्राम–महरातु, टोला–मुर्गीटॉड, पो०–रेवाली, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग द्वारा Under Rule 3 of Bihar Board's Miscellaneouse Rules. 1958 के तहत विविध वाद दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

खाता सं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)
10	752	0.05
	768	0.16
34	717	0.55
72	968	0.92
101	902	0.86
	941	0.80
	2063	0.11
	2077	2.91
	2080	0.45
	2083	0.35
	903	1.96
	1017	0.89
	2014	0.62
	1976	9.50
105	1016	0.40
	1098	0.19
कुल रकवा		20.72
64	1158	0.24
75	973	0.28
	811	0.85
	991	0.49
	992	0.38

	1366	0.50
	1368	1.19
	2023	0.53
78	1249	0.53
	1296	0.93
	962	0.64
	963	0.93
89	91	0.31
	289	0.05
	290	0.08
	291	0.01
	1235	1.95
	1339	0.64
	1377	0.06
	1378	0.27
	1386	1.36
	1475	0.44
	1477	0.66
	1553	0.43
	1763	0.36
	842	0.90
	843	0.23
	844	0.90
96	801	0.11
	802	0.24
	1044	1.47
	1890	0.51
	738	0.29
	951	0.38
98	823	0.29
	824	0.20
	827	0.42
108	1879	0.03
	1880	1.34
	1051	1.47
	1052	0.11
	1053	0.20
	1054	0.32
	1876	0.67
कुल रकवा		24.19

आवेदक के द्वारा उक्त भूमि को पंजी–II में इन्द्राज कर लगान रसीद निर्गत करने, खतियान में सुधार करते हुए जाति कुर्मी के स्थान पर

ग्वाला करने, प्रतिबंधित सूची से भूमि को मुक्त करने एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से भूमि प्रतिवेदन निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

श्री महवीर प्रसाद अग्रवाल, पिता–स्व० बोदूलाल अग्रवाल ग्राम–मेन रोड, जैन मंदिर के नजदीक रामगढ़, पो०+थाना+जिला–रामगढ़ के द्वारा मध्यक्षेपक बनने हेतु आवेदन दायर किया गया है। जिसे स्वीकृत किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–हुहुवा के खाता नं०–10, 34, 64, 72, 75, 78, 89, 96, 98, 101, 105, एवं 108 कुल रकवा–44.91 मध्ये रकवा–20.72 ए० भूमि आवेदक के दादा स्व० नेपाल महतो, पिता–स्व० कैलु महतो के द्वारा Civil Execution Case No.-303 of 1912 निलामी बिक्री से प्राप्त है। उन्होंने जमीनदार पुरना चन्द्र सामान्तों पण्डा, पिता–नवीन चन्द्र पण्डा वगै० से जमीन निलामी से खरीद किये है। इस बिक्री को मुन्सीफ हजारीबाग के द्वारा दिनांक–01.04.1913 द्वारा पुष्टि किया गया। मुन्सीफ न्यायालय राँची टाईटल सुट नं०–235/25 टाईटल अपील संख्या–07/27 दिनांक–09.01.1928 ई० को नेपाल महतो की पक्ष में आदेश देते हुए दिनांक–09.01.1928 को निम्न न्यायालय मुन्सीफ हजारीबाग के आदेश को निरस्त करते हुए प्लीडर कमीशनर नियुक्त करने हेतु तुरंत बांटवारा कर दखल दिलाने हेतु आदेश दिया गया। राँची हाईकोर्ट मुन्सीफ के आदेश को मानते हुए मुन्सीफ हजारीबाग टाईटल सुट सं०–426/1929 मुन्सीफ हजारीबाग के आदेशानुसार दिनांक–17.07.1929 ई को डीग्रीदार नेपाल महतो के हिस्से का जमीन को दिनांक–05.05.1929 ई को मौजा–हुहुवा के लुटा पाहान, बुधन सिंह चौकीदार, झींगा बेदिया वगै० या समक्ष दखल देहानी दिलाई गई। उपरोक्त जमीन का जमीनदारी का रसीद सम्वन्त 1992 साल (1935ई०) से हासिल होते हुए चला आये एवं जमीनदारी वेस्ट होने के बाद सरकारी रसीद ऑफलाईन एवं ऑनलाईन रसीद सन 2021–22 तक निर्गत है। जिसका रकवा–20 एकड़ 72 डी० है। उन्होनें पंजी–II में इन्द्राज कर लगान रसीद निर्गत करने, खतियान में सुधार करते हुए जाति कुर्मी के स्थान पर ग्वाला करने, प्रतिबंधित सूची से भूमि को मुक्त करने एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से भूमि प्रतिवेदन निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

मध्यक्षेपक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हमें सिर्फ मौजा–हुहुवा खाता सं०–101 प्लॉट नं०–1976 रकवा–9.50 ए० भूमि से संबंधित है। उनका आगे कहना है कि मौजा–हुहुवा खाता सं०–101 प्लॉट नं०–1976 रकवा–9.50 ए० भूमि अनिबंधित केवाला दिनांक–12.05.1930 के द्वारा नेपाल महतो, पिता–कैलु महतो से हिरालाल अग्रवाल, पिता–अमरचन्द अग्रवाल ने क्रय किया। जमीनदारी उन्मुलन के पश्चात हिरालाल अग्रवाल के नाम से रजिस्टर–II में नाम दर्ज कर सम्बत 2008 से 2012 तक रसीद निर्गत किया गया। फिर उनके नाम से 1960 से 1962 तक रसीद निर्गत

किया गया। उन्होनें मौजा–हुहुवा खाता सं०–101 प्लॉट नं०–1976 रकवा–9.50 ए० भूमि का पंजी–II में इन्द्राज कर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक–393, दिनांक–07.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–हुहुवा थाना नं०–87 के अंतर्गत खाता नं०–72 प्लॉट नं०–968 कुल रकवा–0.92 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। खाता नं०–105 प्लॉट नं०–1016 कुल रकवा–0.40 ए० एवं प्लॉट नं०–1098 कुल रकवा–0.19 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। खाता नं०–34 प्लॉट नं०–717 कुल रकवा–0.55 ए० भूमि सर्वे खतियान में जिरात दर्ज है। खाता नं०–10 प्लॉट नं०–752 कुल रकवा–0.05 ए० एवं प्लॉट नं०–768 कुल रकवा–0.16 ए० भूमि सर्वे खतियान में जिरात दर्ज है। भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। खाता नं०–101 प्लॉट नं०–902, 1976, 941, 2063, 2077, 2080, 2083, 903, 1017, 2014, रकवा–0.86 ए० क्रमशः 9.50, 0.80, 0.11, 2.91, 0.45, 0.35, 1.96, 0.89 एवं 0.62 ए० कुल रकवा–18.45 ए० भूमि सर्वे खतियान में गैरमजुरूआ खास दर्ज है। कुल खाता 5 कुल रकवा–20.72 ए० भूमि सम्मिलित है। उन्होने आगे प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अनुसार मौजा–हुहुवा थाना नं०–87 के अन्तर्गत मुकदमा संख्या–132/1909 नेपाल महतो बनाम पूरना चन्द सामान्तों वगै० में दिनांक–03.03.1913 को नीलाम के द्वारा मौजा–हुहुवा के 16 आना में सवा आना जमीनदारी नेपाल महतो को प्राप्त हुआ। पुनः टाईटल सूट–426/1929 ने नेपाल महतो बनाम पुरना चन्दर सामान्तों में दिनांक–21.08.1929 को पारित आदेश में नेपाल महतो को हुहुवा के खाता नं०–72, 105, 34, 10, 101, प्लॉट नं०–968, 1016, 1098, 717, 752, 768, 902, 1976, 941, 2063, 2077, 2080, 2083, 903, 1017, 2014, रकवा क्रमशः 0.92, 0.40, 0.19, 0.55, 0.05, 0.16, 0.86, 9.50, 0.80, 0.11, 2.91, 0.45, 0.35, 1.96, 0.89, एवं 0.62 ए० कुल रकवा–20.72 ए० भूमि पर दखलकब्जा सम्पुष्ट किया गया।

खाता नं०–72, 105, 34, 10, 101, कुल रकवा–20.72 ए० भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं०–187/5 पर नेपाल महतो पिता–कैलु महतो के नाम पर कायम है। वर्त्तमान पंजी–II के अनुसार मौजा–हुहुवा के पंजी–II में मांग 77–78 से 2008–09 तक रसीद निर्गत है। जमाबंदी पूर्व में किसके आदेश से प्रारंभ किया गया है। तथा किस पृष्ठ सं० भॉलुम सं० से लाया गया दर्ज नहीं है। कैफियत कॉलम में Order of T.S No.-235/25 and T.A No.-7/27 in the court of musif Ranchi दर्ज है। पश्चात वर्ष 2017 से 2019–20 तक ऑनलाईन रसीद आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त खाता प्लॉट एवं रकवा से संबंधित भूमि का स्थल जाँच एवं राजस्व कागजातों के आधार पर जाँच किया। राजस्व कागजातों के

अनुसार खाता नं०–72 के अन्तर्गत प्लॉट नं०–960 कुल रकवा–0.92 ए० है। खाता नं०–105 प्लॉट नं०–828, 939, 1016, 1098, रकवा क्रमशः 0.50, 1.47, 0.40, 0.19 कुल 2.56 ए० भूमि खतियान में दर्ज है। खाता नं०–10 के अन्तर्गत कुल 1.08 ए० भूमि खतियान में दर्ज है। खाता नं०–34 के अन्तर्गत कुल रकवा–1.82 ए० भूमि खतियान में दर्ज है। खाता नं०–101 के अन्तर्गत कुल प्लॉटों की सं०–202 कुल रकवा–216.19 ए० भूमि खतियान में दर्ज है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि के कुछ भाग में पेड़ लगा है तथा कुछ भाग परती है। जिस पर स्थानीय जमाबंदीदार के द्वारा दावा किया जा रहा है। उपरोक्त खाता नं०–72, 105, 34, 10, के अन्तर्गत किस्त जमीन बकास्त एवं जिरात कुल रकवा–2.27 एं० एवं खाता नं०–101, गैरमजरूआ खास के अन्तर्गत कुल रकवा–18.45 ए० कुल रकवा–20.72 ए० भूमि पर आवेदक द्वारा दावा किया जा रहा है। परंतु उपरोक्त दावा किया जा रहे प्लॉटों पर ग्रमीण एवं अन्य जमाबंदी रैयत अपना दखल कब्जा बताते है। दखल कब्जा नहीं बताया गया है। प्रश्नगत खाता नं०–72, 105, 34, 10 एवं 101 के अन्तर्गत दोहरी जमाबंदी का मामला भी बनता है। गैरमजरूरआ खास खाता नं०–101 के अन्तर्गत कायम जमाबंदी में कैफियत कॉलम में संदेहात्मक प्रतिवेदित दर्ज है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के बावत किया जा रहा दावा पुर्णतः सिविल प्रकृति का है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को नीलामी खरीदगी के आधार पर दावा करते है। मध्यक्षेपक गैरमजरूआ खास भूमि का दावा अनिबंधित केवाला के आधार पर करते है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दोहरी जमाबंदी का मामला बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस विवाद का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता एवं मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–हुहुवा के खाता सं०–72, 105 बकास्त खाता, खाता सं०–34, 10 जिरात खाता एवं खाता सं०–101 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। बकास्त एवं जिरात भूतपूर्व जमींदार (मध्यवर्त्ती) विशेषाधिकार प्राप्त भूमि होती है। जमींदार द्वारा उक्त भूमि विभिन्न रैयतो हस्तांतरित किया गया है। तो जमींदारी उन्मुलन की तिथि से समाहर्त्ता द्वारा fair & equitable rent prescribed manner में Bihar Land Reforms Act-1950 की धारा–5, 6, 7 के अन्तर्गत लगान निर्धारण आवश्यक प्रतीत होता है। लेकिन अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर ग्रामीण एवं अन्य जमाबंदी रैयत का दखलकब्जा बताते है। साथ ही साथ दोहरी जमाबंदी का मामला भी बताया गया है। न तो आवेदक ओर न ही मध्यक्षेपक के द्वारा लगान निर्धारण से संबंधित कागजात समर्पित किया गया है। खाता संख्या–101 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि पर विभिन्न रैयतों का दखल कब्जा एवं जमाबंदी कायम है। तथा कैफियत कॉलम में संदेहात्मक प्रतिवेदित दर्ज है। अर्थात मामला स्वत्व का प्रतीत होता है। जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में ही संभव है। जब तक उक्त भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित आदेश नहीं किया जाता, तब तक इस वाद में किसी भी प्रकार प्रभावशाली आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक एवं मध्यक्षेपक द्वारा दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
03.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
03.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.07.26 12:50:23 +05:30
Location: 192.168.137.1